इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए
(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या 14 अंक संख्या 5 दिसम्बर, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------3
विनियामकों के कथन ----------5
आर्थिक संवेष्टन ----------7
विदेशी मुद्रा ----------8
शब्दावली ----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने एकीकृत लोकपाल योजना की शुरूआत की

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं/कंपनियों के ग्राहकों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीनों लोकपाल योजनाओं - (i) 01 जुलाई, 2017 तक यथा-संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006, (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 और (iii) डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना, 2019 को रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 में एकीकृत कर दिया गया है।

उक्त योजना में निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं/कंपनियों का समावेश है :

I. सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों तथा पिछले वित्त वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तिथि को 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के जमा आकार वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों
II. उन सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) जो (क) जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत हैं अथवा पिछले वित्त वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तिथि को 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली ग्राहक अंतरापृष्ठ रखने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
III. उक्त योजना में यथा-परिभाषित प्रणाली के सभी सहभागियों

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चुनिन्दा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने हेतु कहा गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को यह निदेश दिया है कि वे उन शिकायतों को निपटाने के लिए एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करें जिनकी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जांच तो कर ली गई है, किन्तु जिन्हें आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है। इसप्रकार, यह आंतरिक लोकपाल (IO) ग्राहकों अथवा आम जनता से सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करेगा। इस योजना को लागू करने हेतु चुनी गई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में 10 या उससे अधिक शाखाओं के साथ जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs-D) और जनता-ग्राहक अंतरापृष्ठ रखने वाली 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs-ND) का समावेश होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आंतरिक लोकपाल व्यवस्था लागू करने के लिए उक्त निदेश जारी किए जाने की तिथि से छः माह का समय दिया गया है। एकल आधार वाले प्राथमिक व्यापारी सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -मूलभूत सुविधा वित्त कंपनी, मूल/कोर निवेश कंपनी, मूलभूत सुविधा ऋण निधि- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लेखा समाक़लक (Account Aggregator); कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों; परिसमापन में संलग्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और केवल आबद्ध (captive) ग्राहकों वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इस निदेश से अलग रखा गया है।

बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा जारी किया

उपयुक्त समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप में समर्थ बनाने और उसके साथ ही प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा जारी किया है। 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होने वाले उक्त ढांचे में निगरानी के लिए मुख्य क्षेत्रों के रूप में पूंजी, आस्ति की गुणवत्ता और उत्तोलन (leverage) पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस ढांचे के लिए अन्य

बातों के साथ ही पर्यवेक्षित संस्था/कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह गर्तिका/कमी को संज्ञान में ले तथा उसकी वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित करने हेतु सामयिक रीति से उचित अनुपात में सुधारात्मक उपाय करे।

उक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "सामान्यतया किसी बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले निरंतर पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर रखा जाएगा।"

"परिस्थितियों द्वारा आवश्यक कर दिये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई वर्ष के दौरान किसी समय (किसी एक अवसीमा से दूसरी में स्थानांतरण सहित) पर लागू कर सकता है।"

उक्त रिपोर्ट में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकलने और प्रतिबंधों की वापसी के ढांचे का भी वर्णन किया गया है।

अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत खातों का कोटि-उन्नयन केवल बकाया राशियों के पूर्णत: भुगतान के बाद ही किया जा सकता है

इस बात का पता चलने पर कि कुछेक ऋणदात्री संस्थाएं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत खातों का अतिदेय ब्याज अथवा अतिदेय राशियों के आंशिक भुगतान के आधार पर मानक आस्तियों के रूप में कोटि-उन्नयन कर रही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने विशिष्ट रूप से यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का कोटि-उन्नयन केवल उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पिछली बकाया राशियों के सम्पूर्ण भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए।

ऋणदाताओं को यह अनुदेश दिया गया है कि वे ऋण करारों में ऋणों की चुकौती के लिए सही तिथियों, चुकौती की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज के बीच वाले अलग-अलग विवरणों तथा विशेष उल्लेख खातों/अनर्जक आस्ति वर्गीकरण तिथियों का रिकार्ड रखें। जब ऋण स्वीकृत किया जाए, तो जब तक कि ऋण की पूरी चुकौती नहीं कर दी जाती, स्वीकृति की शर्तों/ऋण करार में कालांतर में होने वाले परिवतनों, यदि कोई हो, के साथ इन विवरणों से उधारकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा। जहां तक उन खातों का संबंध है जिनमें ऋण स्थगन सुविधा प्राप्त

की गई है, ऋण करारों में चुकौती प्रारम्भ होने की सही तिथि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

नए ऋणों के मामले में ऋणदाताओं को इन अधिदेशों का 31 दिसंबर, 2021 तक पालन किए जाने के अनुदेश दिये गए हैं। मौजूदा ऋणों के मामले में इन अधिदेशों का पालन उस समय किया जाना चाहिए जब ऐसे ऋण नवीकरण अथवा पुनरीक्षण के लिए विचारणीय हों।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों से सुभेद्यताओं के प्रति सतर्क रहने और उनके न्यूनीकरण हेतु सामयिक कार्रवाई करने हेतु कहा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों सर्वश्री एम. के॰ जैन, एम॰ राजेश्वर राव और टी॰ बी॰ रबी शंकर के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा कुछेक निजी बैंकों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ (प्रौद्योगिकी पर आधारित (virtual) कई एक बैठकों में भाग लिया। वित्तीय स्थिरता में योगदान करने वाले बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ी वित्तीय एवं परिचालनात्मक आघात-सहनीयता को स्वीकार करते हुये गवर्नर ने बैंकों से आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक सहायता देना जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने बैंकों से सुभेद्यताओं के किन्ही उभरते संकेतों के प्रति सतर्क रहने ए तथा जोखिमों को न्यूनीकृत करने के लिए सामयिक कार्रवाई करने हेतु भी कहा।

इन बैठकों में चर्चा के अधीन उठे अन्य विषयों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण प्रवाह, दबावग्रस्त आस्तियों की संभावना और उनके न्यूनीकरण के उपायों, जोखिमों के कीमत-निर्धारण, वसूली की दक्षताओं और फिंटेक संस्थाओं/कंपनियों के साथ बैंकों की संलग्नता, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विनियामक उपायों का समावेश था।

बैंकों को अंधानुकरण की मानसिकता से बचना चाहिए; अपनी व्यावसायिक रणनीति का चयन सजगता से करना चाहिए : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

नवंबर, 2021 में भारतीय स्टेट बैंक के बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय
नवंबर, 2021 में भारतीय स्टेट बैंक के बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय
रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने बैंकों को बोर्डों का "बाजार का अनुसरण करो" वाले यांत्रिक दृष्टिकोण को त्यागने और उसके बजाय अपने व्यवसाय माडलों एवं रणनीतियों का चयन पर्याप्त सोच-विचार के साथ इसप्रकार करने का आह्वान किया कि वे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि वास्तविक वृद्धि की तलाश में लगे बैंकों को अंधानुकरण की मानसिकता से आवश्यक रूप से बचना चाहिए और उसके बजाय विभेदक व्यवसाय रणनीतियों की तलाश करनी चाहिए। गवर्नर ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बोर्ड की पर्यवेक्षण वाली भूमिका, उसकी संरचना, निदेशकों की कौशल प्रोफाइल, सुदृढ़ जोख़िम एवं अनुपालन संरचना तथा प्रक्रियाओं को विविध हितधारकों के हितों को संतुलित रखने वाले सुदृढ़ एवं अधिक पारदर्शी तंत्र/व्यवस्था के माध्यम से व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ उत्तरदाई अभिशासन एवं नैतिक कार्रवाइयों से जोड़ा जाना चाहिए।

वैश्विक महामारी के कारण उत्पादन की हानि की भरपाई करने में कतिपय वर्ष लग सकते हैं: भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने कहा है कि वैश्विक महामारी के कारण किसी सामान्य वर्ष के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के 1/10 अंश से अधिक की उत्पादन हानि की भरपाई करने में कतिपय वर्ष लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नीति के सामान्यीकरण की दिशा में वापस आने वाले देशों को ऐसे वैश्विक प्रभाव-विस्तार (spill-over) का सामना करना पड़ सकता है जिससे भारत असंक्राम्य नहीं रह सकता।

आपूर्ति संबंधी रुकावटों द्वारा अपवृद्धित स्वास्थ्य संकट, एक अभूतपूर्व व्यापक प्रवसन/स्थानांतरण तथा प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के कारण उत्पादन की पर्याप्त - किसी सामान्य वर्ष के 1/10 अंश से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद की हानि हुई है। ''ब्रिक्स (BRICS) अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास'' विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोलते हुये श्री पात्रा ने कहा कि '' इस लुप्त उत्पादन को वापस लाने में कतिपय वर्ष लग सकते हैं।''

2013 में भारत पाँच नाजुक देशों में से एक था क्योंकि क्रमिक सूक्ष्माग्रता से संबन्धित झुंझलाहट के आवेश (taper tantrum) के दौरान बाह्य क्षेत्र की अर्थक्षमता में गिरावट आ गई

थी। किन्तु आज हम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। हमारी स्थूल-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है तथा बाह्य क्षेत्र के संकेतकों ने बाह्य आघातों का प्रबंधन करने हेतु पर्याप्त गुंजाइशों (cushions) की उपलब्धता को रेखांकित किया है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त अक्तूबर 2021 माह की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कुछेक प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन नीचे दर्शाये गए हैं :

- कोयला, प्रकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे अन्य उद्योगों के उत्पादनो के सितम्बर, 19 के कोविड-पूर्व स्तर को पार कर जाने के साथ ही पूंजीगत माल श्रेणी में सर्वाधिक तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वर्षानुवर्ष 4% की वृद्धि दर्ज हुई।
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति अगस्त, 21 के 11.4% से घटकर सितंबर, 21 में 10.7% के छः माह के कमतर स्तर पर पहुँच गई। अक्तूबर, 21 में पीएमआई विनिर्माण और पीएमआई सेवा में तेजी आई, जो क्रमशः 55.9% तथा 58.4% रही, इसप्रकार, देश में मांग पक्ष में पुनरुत्थान की पुष्टि हुई।
- अक्तूबर, 21 में माल एवं सेवा कर (GST) वसूलियाँ 1.3 लाख करोड़ रुपए रहीं, जो वृद्धि के पुनरुज्जीवित होने का संकेत देती हैं।
- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-sec) और एएए श्रेणी वाले कारपोरेट बांड के प्रतिफल क्रमशः लगभग 6.5% और 7.5% पर स्थिर रहे, जिससे बाजार में दोनों ही क्षेत्रों के लिए उधार लेने हेतु पर्याप्त चलनिधि मौजूद होने का संकेत प्राप्त होता है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट आने के कारण विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ अक्तूबर, 21 के 642 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर नवंबर, 21 में 638 बिलियन अमरीकी डालर रह गईं।
- प्रारक्षित स्वर्ण भंडार भी अक्तूबर, 21 के 39.01 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 38.82 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास समग्र प्रारक्षित स्वर्ण भंडार की स्थिति अक्तूबर, 21 के 5.24 बिलियन अमरीकी डालर के मुक़ाबले 5.16 बिलियन अमरीकी डालर रह गई।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 नवम्बर, 2021 के दिन करोड रुपए	26 नवम्बर, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4776057	637687
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4304119	574664
(ख) सोना	290793	38825
(ग) विशेष आहरण अधिकार	142576	19036
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	38569	5162

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दिसम्बर, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.32400	0.69200	0.96700	1.14200	1.25800
जीबीपी	0.84820	1.2073	1.2918	1.2855	1.2623
यूरो	-0.44000	-0.240	-0.104	-0.024	**0.036**
जापानी येन	0.00880	0.050	0.054	0.063	0.073
कनाडाई डालर	0.50000	1.54000	1.775	1.882	1.936
आस्ट्रेलियाई डालर	0.47750	1.100	1.428	1.683	1.805
स्विस फ्रैंक	-0.58500	-0.390	-0.275	-0.175	-0.085
डैनिश क्रोन	-0.13010	0.0720	0.1755	0.2515	0.3100
न्यूजीलैंड डालर	1.61500	2.368	2.605	2.695	2.717
स्वीडिश क्रोन	0.12800	0.385	0.558	0.662	0.770
सिंगापुर डालर	0.47000	0.885	1.215	**1.435**	1.590
हांगकांग डालर	0.39000	0.780	1.065	1.270	1.400
म्यामार	2.23000	2.620	2.870	2.970	3.100

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा

सुधारात्मक त्वरित कार्रवाई ढाँचा एक ऐसा ढाँचा होता है जिसके तहत विनियामक द्वारा कमजोर वित्तीय संपुटक (metrics) वाले बैंकों की उस बैंक की वित्तीय स्थिति बरकरार रखने हेतु उपयुक्त समयों पर सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। तीन मुख्य क्षेत्रों यथा- पूंजी, आस्ति की गुणवत्ता और उत्तोलन (leverage) की संशोधित ढांचे के अधीन निगरानी की जाती है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे का उद्देश्य प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना भी होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

जोखिम पुरस्कार अनुपात

जोखिम/पुरस्कार अनुपात वह संभाव्य पुरस्कार होता है जो कोई निवेशक निवेश द्वारा वहन किए जाने वाले जोखिम के समक्ष अर्जित कर सकता है। जोखिम/पुरस्कार अनुपातों का उपयोग किसी निवेश से होने वाले अपेक्षित प्रतिलाभ की इन प्रतिलभों को अर्जित करने हेतु किसी निवेशक द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम की मात्रा के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। कोई आदर्श जोखिम पुरस्कार अनुपात 1:3 से अधिक कुछ भी होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसम्बर, 2021 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	**तिथियाँ**	**स्थल**
बैंकों में जोखिम प्रबन्धन	13 से 14 दिसम्बर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण	13 से 15 दिसम्बर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रभावी शाखा प्रबन्धन	13 से 15 दिसम्बर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	16 से 18 दिसम्बर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अपने ग्राहक को जानिए, धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुकाबला	20 से 21 दिसम्बर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	28 से 30 दिसम्बर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है।

संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून, 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थाई तौर पर निर्णय लिया गया है।

पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून, 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित
पाठ्यक्रमों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी

वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येता वृत्ति (Research fellowship) 2021-22

उपर्युक्त अध्येता वृत्ति (fellowship) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनैन्स (IIBF) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IRDBT) की संयुक्त पहलकदमी है। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं का प्रयोजन करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को उल्लिखय योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। उक्त योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सूक्ष्म एवं स्थूल अनुसंधान

सूक्ष्म एवं स्थूल अनुसंधान के लिए विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उनके विवरण संस्थान की वेबसाइट पर दल दिये गए हैं। इस योजना के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

मुंबई, केंद्रीय कार्यालय में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP) का दीक्षा कार्यक्रम

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम के 10वें बैच के विद्यार्थियों के लिए दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन 27 से 30 नवंबर, 2021 और 9 से 12 दिसम्बर, 2021 तक संस्थान के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में किया गया। इस क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर व्याख्यान देने हेतु उद्योग के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

जीएआरपी यूएसए द्वारा वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) परीक्षा हेतु पंजीकरण

संस्थान ने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 300 अमरीकी

डालर के बट्टाकृत शुल्क पर वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल (GARP), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उक्त वित्तीय जोखिम एवं विनियमन पाठ्यक्रम जोखिम प्रबंधन अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम तथा आस्ति और देयता प्रबंधन (ALM) के मुख्य पहलुओं पर विहगावलोकन उपलब्ध कराता है। पंजीकरण पटल/खिड़की 1ली जनवरी से 15वीं जनवरी, 2022 टीके खुली रहेगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने "सब के लिए ई-शिक्षण" की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम-
सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा विधि के अधीन दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की शुरूआत

अक्तूबर, 2021 से दो नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएँ परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा (RPE) विधि से आयोजित की गईं। दोनों नए विषय हैं :रणनीतिक प्रबंधन और बैंकिंग एवं उभरती प्रौद्योगिकियों मेन नवोन्मेष (स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इन्नोवेशन्स इन बैंकिंग एण्ड इमरजिंग टेक्नोलोजीस। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान ने एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत की है जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में

निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग के जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय

(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट के अक्तूबर-दिसंबर 2021 तिमाही के लिए के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (International Financial Centres).

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा मेँ कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा

जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2020 तक की महत्वपूर्ण

घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

3.28

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

समग्र जमा वृद्धि %

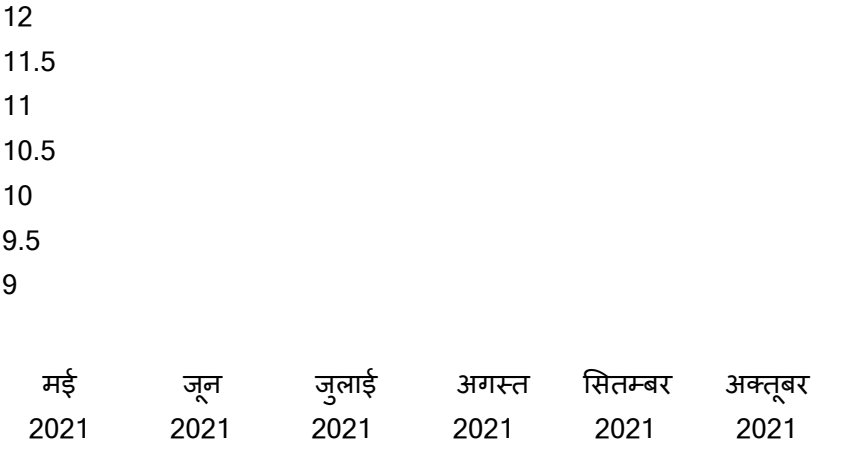

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

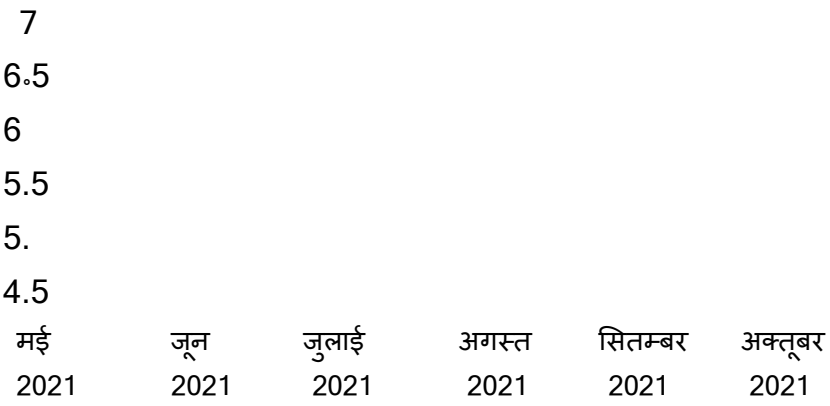

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

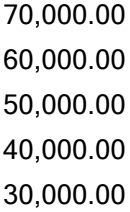

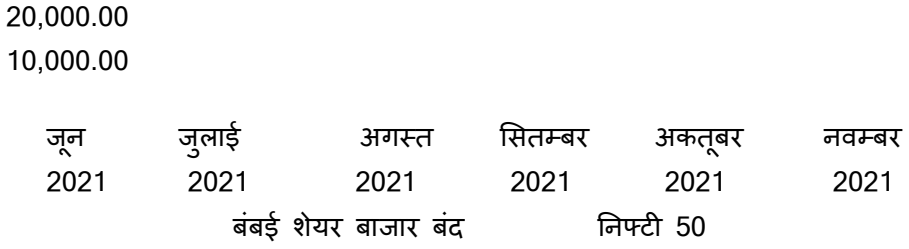

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और निफ्टी

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन दिसम्बर, 2021